


तारीख हुकम

24.02.2026

पत्रावली पेया हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई परंतु
उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं आया है, लिहाजा उपर्युक्त
वाद इसी स्तर पर अटक हाजिरी - अटक परी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली बाद तकमिल पूर्ति वाणिज्य नम्बर से
काम होकर दायित्व स्फुर हो।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीदुंगरगढ़ (बीकानेर)



निदेशिका नं. 10/2026

प्रतिपत्रित हाजिरी... वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
उपखण्ड अधिकारी श्रीदुंगरगढ़ (बीकानेर) के द्वारा जारी किया गया है।
काम होकर दायित्व स्फुर हो।

उपरोक्त वाद... वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
उपखण्ड अधिकारी श्रीदुंगरगढ़ (बीकानेर) के द्वारा जारी किया गया है।
काम होकर दायित्व स्फुर हो।

उपरोक्त वाद... वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
उपखण्ड अधिकारी श्रीदुंगरगढ़ (बीकानेर) के द्वारा जारी किया गया है।
काम होकर दायित्व स्फुर हो।

